



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 2, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. जीएसटी राजस्व रुझान (जून 2026): मुख्य चिंताएं और संरचनात्मक मुद्दे	2
2. वीबी-ग्राम जी अधिनियम, 2025: ग्रामीण रोजगार संरचना का संक्रमण (बदलाव)	3
3. स्वदेशी संरक्षण: अरुणाचल प्रदेश में सांगनो कबीले की पहल	5
4. विज़िनजाम बंदरगाह पर रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री: शासन और सुरक्षा मंजूरियां	6
5. उग्रवाद के लिए वित्तीय शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामले को बरकरार रखा	7
6. एआई की अनियंत्रित प्रगति और विनाशकारी जोखिम: संयुक्त राष्ट्र पैनल की चेतावनी	8
7. टोक्यो-दिल्ली रणनीतिक संबंध और वैश्विक अनिश्चितता: मुख्य परिणाम	10
8. 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक: हिरासत में मंत्रियों को हटाना	11
9. सैन्य नेतृत्व में फेरबदल और 'विजय' (VIJAY) रोडमैप: रणनीतिक संक्रमण	12
10. भारत का ऊर्जा संक्रमण (Transition): एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा ढांचा	14
11. दूरसंचार अधिनियम 2023: उभरते प्राधिकरण नियम और ढांचा	16
12. जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति: मुख्य हस्तक्षेप	17



1. जीएसटी राजस्व रुझान (जून 2026): मुख्य चिंताएं और संरचनात्मक मुद्दे

असमान संरचना के साथ रिकॉर्ड वृद्धि:

जून 2026 में भारत का जीएसटी राजस्व साल-दर-साल 13.9% बढ़कर ₹1.95 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले 13 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि है। हालांकि, घरेलू लेनदेन से होने वाले राजस्व में केवल 6.5% (₹1.35 लाख करोड़) की मामूली वृद्धि देखी गई, जिससे कुल राजस्व में इसकी हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 74% से घटकर 69% रह गई।

आयात-संचालित राजस्व:

आयात से होने वाला राजस्व लगभग 35% बढ़कर ₹60,000 करोड़ हो गया, जो लगातार 16वें महीने दोहरे अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। यह विदेशी वस्तुओं पर निरंतर निर्भरता को उजागर करता है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि भारत घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के बजाय मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात कर रहा होगा।

विनिर्माण बनाम आयात निर्भरता:

जहां कुछ विशेषज्ञ उच्च आयात वृद्धि को कच्चे माल की मजबूत मांग के संकेत के रूप में देखते हैं जो स्थानीय असेंबली को बनाए रख रही है, वहीं अन्य चेतावनी देते हैं कि यह कमजोर घरेलू क्षमता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कम उपयोग किए गए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (PLI) परिव्यय को फिर से तैनात किया जाना चाहिए।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

जीएसटी को 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 246A (वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की समवर्ती शक्ति) और अनुच्छेद 279A (जीएसटी परिषद का गठन) को जोड़ा गया। आयात जीएसटी (IGST) अनुच्छेद 269A द्वारा शासित होता है, जो यह अनिवार्य करता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार/आयात पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और इसे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा।

निरंतर संरचनात्मक बाधाएं:

जैसे ही जीएसटी अपने नौ साल पूरे कर रहा है, प्रमुख परिचालन चुनौतियां अभी भी अनसुलझी हैं: जटिल इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सत्यापन, उलटी शुल्क संरचना (तैयार उत्पादों की तुलना में इनपुट पर अधिक कर), कई राज्य-वार पंजीकरण, और बढ़ता हुआ मुकदमा (विवाद)।

प्रमुख परिभाषाएं

- उलटी शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure):** ऐसी स्थिति जहां कच्चे माल पर आयात शुल्क/कर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक होते हैं, जो घरेलू मूल्यवर्धन को हतोत्साहित करते हैं।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC):** वह तंत्र जो विनिर्माणकर्ताओं/व्यापारियों को अपने अंतिम आउटपुट पर देय कर में से इनपुट पर पहले से भुगतान किए जा चुके कर को कम करने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

यद्यपि मजबूत सकल संग्रह राजकोषीय सुरक्षा (fiscal cushion) सुनिश्चित करता है, लेकिन घरेलू और आयात-संचालित जीएसटी वृद्धि के बीच का अंतर संरचनात्मक विनिर्माण घाटे को रेखांकित करता है। दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आईटीसी विसंगतियों को दूर करना और लक्षित पीएलआई हस्तक्षेपों का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति और संसाधनों का जुटाव)। मुख्य परीक्षा (विश्लेषणात्मक प्रश्न) और प्रारंभिक परीक्षा (संवैधानिक प्रावधानों) दोनों के लिए कर संरचना, अनुच्छेद 279A में संघीय घर्षण बिंदु (विवाद के बिंदु) और विनिर्माण चुनौतियों (PLI योजनाओं) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. वीबी-ग्राम जी अधिनियम, 2025: ग्रामीण रोजगार संरचना का संक्रमण (बदलाव)

ग्रामीण रोजगार में आदर्श बदलाव (Paradigm Shift):

केंद्र सरकार ने नए अधिनियमित 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-GRAM G) अधिनियम, 2025 के तहत ₹300 प्रति दिन का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (floor wage) लागू किया है, जिसने प्रभावी रूप से दो दशक पुराने मनरेगा (MGNREGA), 2005 की जगह ले ली है।

क्षेत्रीय विविधताएं और असममित वृद्धि:

इस आदेश ने उन 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वेतन में भारी वृद्धि की जहां पहले ₹300 से कम भुगतान किया जा रहा था। प्रमुख लाभार्थियों में हिंदी-पट्टी के राज्य शामिल हैं जैसे उत्तर प्रदेश (+₹48), बिहार (+₹45), और मध्य प्रदेश (+₹39), इसके साथ ही कई पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में भी दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य:

हरियाणा (₹409), गोवा (₹406), और केरल (₹401) ही एकमात्र ऐसे राज्य बने हुए हैं जहाँ न्यूनतम मजदूरी ₹400 से अधिक है। इसके विपरीत, तेलंगाना (+0.33%), आंध्र प्रदेश (+1.6%), और कर्नाटक (+3.2%) जैसे दक्षिणी राज्यों में, जो पहले से ही इस आधार रेखा से ऊपर थे, बहुत कम बदलाव देखे गए।

संवैधानिक और कानूनी इंटरफेस:

ग्रामीण रोजगार गारंटी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के तहत अनुच्छेद 41 (काम का अधिकार) और अनुच्छेद 43 (श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी) के लिए एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, अपर्याप्त मजदूरी देना अनुच्छेद 23 (मजबूर श्रम/बलात् श्रम का निषेध) के तहत कानूनी जांच के दायरे में आता है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पहले यह व्याख्या की है कि वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना भी जबरन श्रम में शामिल है।

नीतिगत बहस और संरचनात्मक आलोचनाएं:

सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने इस आधार रेखा (baseline) को अपर्याप्त बताते हुए इसकी आलोचना की है। उन्होंने 2019 की डॉ. अनूप सत्यथी समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसने ₹375 प्रति दिन के राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की सिफारिश की थी, और हालिया राजनीतिक मांगों का भी जिक्र किया जो ग्रामीण मुद्रास्फीति के दबावों से निपटने के लिए एक समान ₹400 की आधार रेखा की मांग कर रही हैं।

प्रमुख परिभाषाएं

- न्यूनतम वेतन (Floor Wage):** केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक न्यूनतम आधार रेखा, जिससे नीचे कोई भी राज्य या नियोक्ता कानूनी रूप से अनुसूचित रोजगार के लिए मजदूरी दर तय नहीं कर सकता है।
- निर्वाह मजदूरी (Living Wage):** एक सैद्धांतिक मजदूरी स्तर जो एक श्रमिक के लिए बुनियादी आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का खर्च उठाने के लिए आवश्यक है, जो जीवन निर्वाह के स्तर की न्यूनतम मजदूरी से ऊपर होता है।

निष्कर्ष

मनरेगा से वीबी-ग्राम जी (VB-GRAM G) में परिवर्तन राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूरी के आधार को मानकीकृत करता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मजदूरी की विसंगतियां दूर होती हैं। हालांकि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वास्तव में पुनर्जीवित करने के लिए इन वैधानिक मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप बनाए रखना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II और III (कल्याणकारी योजनाएं, कमजोर वर्ग और भारतीय अर्थव्यवस्था)। सुरक्षा तंत्रों में संरचनात्मक सुधारों, राज्य-वार मजदूरी भिन्नताओं के संबंध में राजकोषीय संघवाद और ग्रामीण विकास के प्रतिमानों में विधायी परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है।

3. स्वदेशी संरक्षण: अरुणाचल प्रदेश में सांगनो कबीले की पहल

समुदाय के नेतृत्व में स्थानांतरण (Translocation):

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में सांगनो कबीले के नौ सदस्यों ने प्रजातियों की रक्षा करने और अपनी पारंपरिक सामुदायिक मछली पकड़ने की प्रथाओं को संरक्षित करने के लिए 'शिज़ोथोरैक्स पेल्ज़ामी' (Schizothorax pelzami) के 52 उँगलियों के आकार के बच्चों (fingerlings) को सफलतापूर्वक दूसरी जगह स्थानांतरित किया।

लक्षित प्रजातियां और स्थानीय वर्गीकरण:

न्यीशी भाषा में स्थानीय रूप से 'नगार्सिंग' (Ngarsing) के रूप में जानी जाने वाली 'शिज़ोथोरैक्स पेल्ज़ामी' (ट्रांसकैस्पियन मारिनका) कार्प परिवार से संबंधित एक लुप्तप्राय किरण-पंखों वाली (ray-finned) मछली है, जो उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी और उप-हिमालयी नदी प्रणालियों की मूल निवासी है।

आवास प्रबंधन और शिकारियों से सुरक्षा:

मछली के बच्चों को लापाबुंग धारा से रिचासो धारा के एक अलग हिस्से (3400 फीट की ऊंचाई पर) में ले जाया गया, जो प्राकृतिक रूप से शिकारी महाशीर के लिए दुर्गम है। महाशीर एक अत्यधिक मूल्यवान खेल मछली (sport fish) है जिसे "पानी का बाघ" (tiger of the water) कहा जाता है।

सतत स्वदेशी शासन:

सफल प्रजनन सुनिश्चित करने के लिए, गांव के प्रधान ने रिचासो धारा में मछली पकड़ने पर पांच साल का सख्त पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। समुदाय द्वारा लागू किए गए इस स्थगन (moratorium) का उद्देश्य दीर्घकालिक सांस्कृतिक परंपराओं जैसे कि इको-एंगलिंग (पर्यावरण-अनुकूल मछली पकड़ना) और स्ट्रीम-ट्रैकिंग (धारा-यात्रा) के साथ पारिस्थितिक बहाली को संतुलित करना है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

समुदाय-आधारित संरक्षण राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 48A और मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A(g) के अनुरूप है, जो वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा करने का आदेश देते हैं। इसके अलावा, जैव विविधता अधिनियम, 2002 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) ग्राम सभाओं और स्वदेशी कबीलों को अपने पारंपरिक सामुदायिक वन संसाधनों और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा और प्रबंधन करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाते हैं।

प्रमुख परिभाषाएं

- किरण-पंखों वाली मछली (Ray-Finned Fish):** बोनी मछलियों (Actinopterygii) का एक विविध वर्ग, जिसकी विशेषता हड्डियों या सींगदार कांटों (किरणों) द्वारा समर्थित त्वचा के जाल होते हैं, जो सभी जीवित कशेरुकी (vertebrate) प्रजातियों का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।

- **इको-एंगलिंग (Eco-Angling):** टिकाऊ, पकड़ने और छोड़ने (catch-and-release) वाले खेल के रूप में मछली पकड़ने का एक रूप, जिसे मछली की आबादी को कम किए बिना संरक्षण को बढ़ावा देने और स्थानीय पर्यावरण-पर्यटन राजस्व उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

निष्कर्ष

सांगनो कबीले की पहल आधुनिक संरक्षण में पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (TEK) की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। शिकारी-सुरक्षित अभयारण्य बनाकर और खुद पर मछली पकड़ने का प्रतिबंध लगाकर, स्वदेशी समुदायों ने यह साबित किया है कि सांस्कृतिक संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा प्रभावी रूप से एक-दूसरे को सुदृढ़ कर सकते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (पर्यावरण, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन)। यह केस स्टडी समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण मॉडल, पवित्र उपवन (sacred groves)/पारंपरिक कानूनों और उत्तर-पूर्व की संकटग्रस्त जलीय प्रजातियों पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो विकेन्द्रीकृत पर्यावरण शासन पर मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करती है।

4. विज़िनजाम बंदरगाह पर रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री: शासन और सुरक्षा मंजूरियां

प्रस्तावित इक्विटी स्थानांतरण (Equity Translocation):

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने घोषणा की है कि स्विट्जरलैंड स्थित मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) समूह की योजना अडानी विज़िनजाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (AVPPL) में 49% हिस्सेदारी हासिल करने की है।

अनिवार्य बहु-स्तरीय स्वीकृतियां:

केरल सरकार ने स्पष्ट किया कि रियायतग्राही (concessionaire) कंपनी के भीतर किसी भी हिस्सेदारी को कम करने या स्थानांतरित करने के लिए प्राथमिक परियोजना प्रस्तावक के रूप में राज्य सरकार की औपचारिक सहमति अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक निरीक्षण:

विज़िनजाम गहरे पानी के बंदरगाह के रणनीतिक ट्रांसशिपमेंट (माल-परिवहन) महत्व के कारण, यह लेनदेन केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से वैधानिक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।

संवैधानिक और वैधानिक ढांचा:

प्रमुख बंदरगाहों (Major Ports) के अलावा अन्य बंदरगाह समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 31) के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य सरकारों को समुद्री विनियामक अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और प्रमुख बंदरगाह संघ सूची (प्रविष्टि 22) के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए सुरक्षा मंजूरियां केंद्रीय गृह मंत्रालय की अवशिष्ट (residuary) कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की सत्यनिष्ठा:

प्रमुख बुनियादी ढांचा रियायतों में, रियायत समझौता (Concession Agreement) इक्विटी लॉक-इन अवधि और स्वामित्व में बदलावों को नियंत्रित करता है। परिचालन शुरू होने से पहले या बाद में अनधिकृत इक्विटी बदलाव अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर सकते हैं, जिसके कारण एकाधिकार नियंत्रण या सुरक्षा कमजोरियों को रोकने के लिए सख्त विनियामक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

प्रमुख परिभाषाएं

- **ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Transshipment Port):** एक रणनीतिक बंदरगाह हब (केंद्र) जहां माल या कंटेनरों को एक बड़े गहरे समुद्री जहाज (मेनलाइनर) से छोटे जहाजों (फीडर) में अंतिम गंतव्यों तक वितरण के लिए स्थानांतरित किया जाता है।
- **रियायत समझौता (Concession Agreement):** एक सरकारी निकाय और एक निजी संस्था (रियायतग्राही) के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध, जो बाद वाले को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बुनियादी ढांचा संपत्ति के संचालन, रखरखाव और विकास का विशेष अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित अडानी-एमएससी (Adani-MSI) सौदा वैश्विक वाणिज्यिक एकीकरण और सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा शासन के परस्पर जुड़ाव को रेखांकित करता है। वैश्विक समुद्री साझेदारियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की रणनीतिक समुद्री संपत्तियों की रक्षा के लिए संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर कठोर विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (बुनियादी ढांचा: बंदरगाह, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल) और **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II** (संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध)। बुनियादी ढांचा रियायतों की कानूनी जटिलताओं, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी तंत्र और समुद्री संघवाद के विश्लेषण के लिए यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

Dream | Dare | Deliver

5. उग्रवाद के लिए वित्तीय शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूपीए मामले को बरकरार रखा

राष्ट्रीय सुरक्षा पर न्यायिक पुष्टि:

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अमेरिका स्थित संगठन 'द टिमोथी इनिशिएटिव' (TTI) से जुड़े छह व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत एक आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया और यह टिप्पणी की कि उग्रवाद का गुप्त वित्तपोषण (clandestine funding) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।

वित्तीय अनियमितता का तरीका (Modus Operandi):

आरोपियों द्वारा कथित तौर पर विदेशों से जारी डेबिट कार्डों का उपयोग करके और भारत के वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में धन को व्यवस्थित रूप से वितरित करके विनियामक चैनलों को दरकिनार किया जा रहा था।

संस्थागत समन्वय:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक आधिकारिक निर्देश के बाद बेंगलुरु पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी, जो वित्तीय खुफिया और राज्य कानून प्रवर्तन इकाइयों के बीच अंतर-एजेंसी सहयोग को उजागर करती है।

संवैधानिक संरचना:

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा वह अदृश्य संरचना है जो राज्य की संप्रभुता और संवैधानिक व्यवस्था को आधार प्रदान करती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित मौलिक स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंधों को दर्शाती है।

कानूनी और वैधानिक ढांचा:

यह जांच गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 का हवाला देती है, जो आतंकवाद और आतंकवाद-वित्तपोषण के अभियोजन के लिए एक कड़ा ढांचा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित चैनलों के बाहर विदेशी धन को रूट करना सीधे तौर पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 को लागू करता है।

प्रमुख परिभाषाएं

- **गुप्त वित्तपोषण (Clandestine Funding):** विनियामक ट्रैकिंग और ऑडिट निशानों से बचने के लिए गैर-औपचारिक या अवैध वित्तीय चैनलों के माध्यम से पूंजी या संसाधनों का गुप्त, अनधिकृत प्रवाह।
- **अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (Inherent Jurisdiction):** किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालयों की विशिष्ट, गैर-संहिताबद्ध शक्ति (CrPC की धारा 482 / BNSS की धारा 528 के तहत)।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालय का फैसला विषम राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को बेअसर करने के पूर्ण राज्य के जनादेश को मान्य करता है। सीमा पार वित्तपोषण जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार करके, न्यायपालिका ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि आर्थिक पारदर्शिता सीधे तौर पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक स्थिरता से जुड़ी हुई है।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा और संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, मनी-लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम)। यह न्यायिक मिसाल आतंकवाद-वित्तपोषण नेटवर्क, वामपंथी उग्रवाद (LWE) रोकथाम रणनीतियों और यूएपीए-एफसीआरए विधायी ढांचे की संरचनात्मक प्रभावकारिता से संबंधित प्रश्नों के लिए विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान करती है।

6. एआई की अनियंत्रित प्रगति और विनाशकारी जोखिम: संयुक्त राष्ट्र पैनल की चेतावनी

मुख्य संदर्भ और पैनल का जनादेश:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की एक प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसमें 40 क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं और जिसकी सह-अध्यक्षता योशुआ बेगियो ने की है, चेतावनी देती है कि एआई का विकास वैज्ञानिक समझ और सरकारी नीति से आगे निकल रहा है। परिणामस्वरूप, विज्ञान वर्तमान में यह गारंटी नहीं दे सकता है कि आगे बढ़ती एआई क्षमताएं स्वतंत्र रूप से या दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं (malicious actors) के माध्यम से विनाशकारी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी।

नीति निर्माण की दुविधा:

सरकारों को एक विनियामक बाधा (regulatory bottleneck) का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें प्रभावी, संतुलित एआई नियमों को तैयार करने के लिए मजबूत, अनुभवजन्य साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, फिर भी ऐसे साक्ष्य एकत्र करने की गति तकनीक के तीव्र विकास के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है, जिससे एक गंभीर शासन अंतर (governance gap) पैदा हो रहा है।

विकासात्मक रुझान (एजेंटिक और स्व-सुधार करने वाला एआई):

निकट भविष्य में, एआई 'एजेंटिक एआई' (Agentic AI) प्रणालियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है—जो जटिल, वास्तविक दुनिया के कार्यों को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने में सक्षम स्वायत्त संस्थाएं हैं, हालांकि वे ऊर्जा ग्रीड और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की कमी से सीमित हैं। समय के साथ, रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 'स्व-सुधार करने वाले एआई' (Self-Improving AI) के गहराई से समाहित होने और क्रांति कंप्यूटिंग तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे उन्नत मोर्चों के साथ इसके अभिसरण (convergence) का अनुमान लगाती है।

दोहरे उपयोग की दुविधा (Dual-Use Dilemma):

जबकि एआई वैज्ञानिक सफलताओं को गति देता है (जैसे, गणित में विशेषज्ञ-स्तर की तर्क क्षमता, दवाओं और टीकों के हफ्तों के विकास को दिनों में समेटना), इसके साथ ही यह "धोखेबाज़ व्यवहार" के बढ़ते सबूत भी प्रदर्शित करता है, जिससे दुरुपयोग या प्रणालीगत विफलता के जोखिम बढ़ जाते हैं।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान (भारत):

भारत में एआई के लिए कोई अलग कानून (standalone statute) नहीं है, लेकिन यह एक परस्पर जुड़े विनियामक ढांचे का उपयोग करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 (गोपनीयता और गरिमा का अधिकार) एआई-संचालित डेटा उल्लंघनों और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह के खिलाफ एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। वैधानिक विनियमन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (और इसके आगामी उत्तराधिकारी, डिजिटल इंडिया अधिनियम) के साथ-साथ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 द्वारा संचालित होता है, जो एल्गोरिथम नुकसान को कम करने के लिए सख्त सहमति और डेटा-फिडुशिअरी (डेटा-महान्यासी) दायित्वों को अनिवार्य करता है।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रमुख परिभाषाएं:

- एजेंटिक एआई (Agentic AI):** न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ जटिल, बहु-स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वायत्तता, तर्क और निष्पादन क्षमताओं से लैस एआई प्रणालियां।
- दोहरे उपयोग वाला एआई (Dual-Use AI):** व्यावसायिक/शांतिपूर्ण उद्देश्यों और हानिकारक/सैन्य अनुप्रयोगों (जैसे, जैव रासायनिक संश्लेषण) दोनों के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम एआई सॉफ्टवेयर।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि सक्रिय, चुस्त और विश्व स्तर पर समन्वित शासन अब वैकल्पिक नहीं रह गया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, नवाचार को सुरक्षित रूप से अपनाने के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थानों और नागरिकों के अधिकारों को विनाशकारी तकनीकी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एआई-संचालित आर्थिक विकास को मजबूत नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत रिपोर्ट, वैधानिक निकाय और विनियामक ढांचे।
- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (विकास और अनुप्रयोग), चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR), और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां।

7. टोक्यो-दिल्ली रणनीतिक संबंध और वैश्विक अनिश्चितता: मुख्य परिणाम

16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन:

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा (1-3 जुलाई, 2026) पर नई दिल्ली पहुंचीं, जो पदभार संभालने के बाद उनकी भारत की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। यह शिखर सम्मेलन बढ़ते भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

साझेदारी का उन्नयन (Upgradation):

समकालीन संबंधों का संरचनात्मक आधार 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' (Special Strategic and Global Partnership) में निहित है, जिसे 2014 में अपग्रेड किया गया था। पिछले वार्षिक शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए, दोनों देश भारत में जापानी निवेश लक्ष्यों को बढ़ाकर 10 ट्रिलियन येन ($\$10,000,000,000,000 \text{ JPY}$) करने के लिए एक दशक लंबे रोडमैप को लागू कर रहे हैं।

आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करना:

वैश्विक व्यवधानों (जैसे समुद्री संचार लाइनों में अस्थिरता, संसाधनों तक पहुंच की बाधाएं और सेमीकंडक्टर कमजोरियां) की पृष्ठभूमि में, द्विपक्षीय वार्ता का मुख्य ध्यान आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम-मुक्त (de-risking) करने पर है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण (चिप्स), दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (rare earth elements) की सोर्सिंग और उच्च तकनीक विनिर्माण शामिल हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:

द्विपक्षीय पहल महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर जोर देती है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा साझेदारियों में संयुक्त विकास को लक्षित करने वाले ढांचे की शुरुआत की गई है।

हिंद-प्रशांत अक्ष और सुरक्षा अभिसरण (Convergence):

दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन पर आधारित एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह रणनीतिक अभिसरण जापान की संशोधित रक्षा निर्यात नीतियों (हथियार

हस्तांतरण पर तीन सिद्धांत) को संयुक्त रक्षा उत्पादन और सुरक्षा लचीलेपन में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा (भारत):

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों का प्रबंधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत संघीय कार्यकारी शक्ति के माध्यम से किया जाता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को लागू करने वाले कानून बनाने की संसदीय शक्ति अनुच्छेद 253 से मिलती है, जिसे संघ सूची की प्रविष्टि 13 (सूची I, सातवीं अनुसूची) के साथ पढ़ा जाता है।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रमुख परिभाषाएं:

- **विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership):** एक बहु-स्तरीय द्विपक्षीय ढांचा जो एक सामान्य राजनयिक संबंध का विस्तार करके उसमें उच्च स्तरीय सैन्य सहयोग, नागरिक परमाणु समझौते, गहरे औद्योगिक निवेश और संरेखित क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को शामिल करता है।
- **आर्थिक सुरक्षा (Economic Security):** एक राज्य रणनीति जो किसी राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं (जैसे ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और चिप्स) को बाहरी दबाव, भू-राजनीतिक घर्षण या प्रणालीगत बाधाओं से सुरक्षित करने पर केंद्रित होती है।

निष्कर्ष

मोदी-ताकाइची शिखर सम्मेलन इस बात को रेखांकित करता है कि भारत-जापान संबंध केवल द्विपक्षीय व्यापार से आगे बढ़कर हिंद-प्रशांत में लोकतांत्रिक स्थिरता का एक मौलिक स्तंभ बन गए हैं। चूंकि वैश्विक अनिश्चितताएं आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन की परीक्षा ले रही हैं, जापान की उच्च तकनीक विनिर्माण विशेषज्ञता को भारत के जनसांख्यिकीय और औद्योगिक पैमाने के साथ मिलाना आर्थिक और रणनीतिक दबाव के खिलाफ एक पारस्परिक सुरक्षा दीवार (firewall) प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** बुनियादी ढांचा, औद्योगिक नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, सुरक्षा चुनौतियां और हिंद-प्रशांत में उनका प्रबंधन।

8. 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक: हिरासत में मंत्रियों को हटाना

विधायी संदर्भ और पैनल समीक्षा:

130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति द्वारा मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अपनाने की उम्मीद है। संसद में किसी विधेयक पर औपचारिक रूप से विचार करने और पारित करने से पहले सदन के पैनल की रिपोर्ट को अपनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक पूर्व शर्त है।

प्रस्तावित स्वचालित निष्कासन खंड (Automatic Removal Clause):

इस विधेयक का मुख्य विवादास्पद खंड कार्यकारी प्रमुखों—प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, या अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रियों—को उनके संबंधित पदों से स्वचालित रूप से हटाने का आदेश देता है, यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है।

विपक्ष की चिंताएं और असहमति पत्र (Dissent Notes):

पैनल में शामिल विपक्षी सदस्यों द्वारा एक औपचारिक असहमति पत्र सौंपने की उम्मीद है। मुख्य शासन संबंधी चिंता राजनीतिक प्रतिशोध के प्रति इस खंड की संवेदनशीलता, राज्य की जांच मशीनरी के हथियारीकरण और लोकतांत्रिक जनादेश के मनमाने ढंग से उपवर्तन (कमजोर करने) को लेकर है।

संवैधानिक और कानूनी अंतर्संबंध:

वर्तमान में, अनुच्छेद 75 और 164 के तहत, मंत्री राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, और उनका हटाया जाना संसदीय विश्वास या प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार से जुड़ा होता है। इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 8 केवल विशिष्ट अपराधों के लिए न्यूनतम सजा के साथ दोषसिद्धि (न कि केवल गिरफ्तारी या हिरासत) पर ही विधायकों को अयोग्य घोषित करती है, जो इस संशोधन को दोषसिद्धि से पहले ही कार्यकारी को हटाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव बनाती है।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रमुख परिभाषाएं:

- **असहमति पत्र (Dissent Note):** संसदीय समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया एक औपचारिक लिखित विरोध, जो पैनल की अंतिम रिपोर्ट में शामिल बहुसंख्यक सहमति या निष्कर्षों से असहमत होता है।
- **न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत (Judicial Custody vs. Police Custody):** पुलिस हिरासत का तात्पर्य है कि आरोपी को सक्रिय पूछताछ के तहत पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में रखा जाता है, जबकि न्यायिक हिरासत का मतलब है कि आरोपी अदालत की सुरक्षा में है और उसे जेल की सुविधा (कारागार) में रखा जाता है।

निष्कर्ष

130वां संशोधन विधेयक यह सुनिश्चित करके राजनीतिक नैतिकता और प्रशासनिक स्वच्छता को संस्थागत बनाने का प्रयास करता है कि दीर्घकालिक हिरासत में रहने वाले व्यक्ति कार्यकारी मंत्रालयों की कमान न संभालें। हालांकि, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा और प्रणालीगत दुरुपयोग के खिलाफ संरचनात्मक सुरक्षा उपायों के बीच एक महीन संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक संघवाद को बनाए रखने और कार्यकारी अस्थिरता को रोकने के लिए, कानून बनने से पहले वैधानिक ढांचे में मजबूत "सचेत करने वाले बिंदु" (notes of caution) सीधे शामिल किए जाने चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** भारतीय संविधान—महत्वपूर्ण प्रावधान और संशोधन; कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; संसद और राज्य विधायिका—कार्य संचालन; संसदीय समितियों की भूमिका; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951।

9. सैन्य नेतृत्व में फेरबदल और 'विजय' (VIJAY) रोडमैप: रणनीतिक संक्रमण

कमान संक्रमण और ऐतिहासिक संदर्भ:

जनरल धीरज सेठ ने 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में कार्यभार संभाला। विशेष रूप से, वह '2nd Lancers' (भारत की सबसे पुरानी बख्तरबंद रेजिमेंटों में से एक) से तीसरे सेना प्रमुख हैं और जनरल शंकर रॉय चौधरी (1994-97) के बाद पिछले 30 वर्षों में इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले आर्मर्ड कॉर्प्स (बख्तरबंद कोर) के अधिकारी हैं।

'विजय' (VIJAY) आधुनिकीकरण रोडमैप:

नए थल सेनाध्यक्ष ने 'VIJAY' संक्षिप्त नाम के तहत एक व्यापक तकनीकी और सैद्धांतिक ढांचे का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार, तकनीक-सक्षम मल्टी-डोमेन बल स्थापित करना है:

- **V (Vigilance - सतर्कता):** सक्रिय सीमाओं पर बढ़ी हुई स्थितिजन्य जागरूकता और सक्रिय रूप से खतरों का शमन करना।
- **I (Innovation & Transformation - नवाचार और परिवर्तन):** परिचालन सैन्य सिद्धांतों में विघटनकारी (disruptive) तकनीकी समाधानों का तीव्र एकीकरण।
- **J (Jointness & Integration - संयुक्तता और एकीकरण):** संयुक्त अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) और भारतीय नौसेना के साथ अंतर-सेवा तालमेल को अधिकतम करना।
- **A (Atmanirbharta - आत्मनिर्भरता):** 'विकसित भारत 2047' के रक्षा स्तंभ का समर्थन करने के लिए स्वदेशी युद्ध क्षमताओं का निर्माण करना।
- **Y (Yodha First - योद्धा प्रथम):** अग्निवीरों से लेकर अनुभवी सैनिकों तक कल्याण, प्रशिक्षण और संस्थागत सहायता को प्राथमिकता देने वाला कार्मिक-केंद्रित फोकस।

व्यापक उच्च स्तरीय रक्षा फेरबदल:

थल सेनाध्यक्ष (COAS) के परिवर्तन के समानांतर, उच्च रक्षा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा नियुक्तियां की गईं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायु सेना के उप-प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने सेना के उप-प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, और एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CISC) के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया।

नागरिक-सैन्य संलयन (Fusion) और समग्र रक्षा:

यह रणनीतिक संक्रमण इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अलग-थलग (silos में) रहकर काम नहीं कर सकती। तकनीक-सक्षम स्थिति प्राप्त करने के लिए गहरे नागरिक-सैन्य संलयन की आवश्यकता होती है—जिसमें नागरिक वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक विनिर्माण क्षमता और शैक्षणिक नवाचार को सैन्य परिचालन आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जाता है।

संवैधानिक और कानूनी संरचना:

अनुच्छेद 53(2) के तहत, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग संसदीय कानून द्वारा विनियमित होता है। कार्यकारी निरीक्षण रक्षा मंत्रालय के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जबकि वैधानिक तंत्र जैसे सशस्त्र बल अधिनियम व्यक्तिगत सेवा शाखाओं को नियंत्रित करते हैं। उच्च स्तरीय कमानों और फेरबदल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रमुख परिभाषाएं:

- **संयुक्तता (Jointness):** एकीकृत सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना की क्षमताओं, रणनीतियों और संस्कृतियों का सचेत एकीकरण, जो सरल समन्वय से आगे बढ़कर एक संरचित अंतर-सेवा अंतर-निर्भरता की ओर ले जाता है।
- **मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO):** एक युद्ध दर्शन जिसके तहत दुश्मन ताकतों को परास्त करने के लिए युद्ध के सभी क्षेत्रों—भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष—में एक साथ और सिंक्रनाइज़ (समकालिक) संचालन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

एकीकृत रक्षा स्टाफ और वायु सेना स्टाफ में उच्च स्तरीय पुनर्गठन के साथ जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति संयुक्त युद्ध क्षमता की दिशा में एक निर्णायक कदम का संकेत देती है। चूंकि भारत जटिल विषम और पारंपरिक सीमा खतरों का सामना कर रहा है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बलों को एक परिसंपत्ति-भारी विरासत बल (asset-heavy legacy force) से एक चुस्त, स्वदेशी रूप से संचालित और नेटवर्कयुक्त सुरक्षा संरचना में बदलने के लिए 'VIJAY' रोडमैप को क्रियान्वित करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; संवैधानिक प्राधिकारियों की भूमिका।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध; विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ और उनके जनादेश; उच्च रक्षा सुधार (थियेटराइजेशन और संयुक्तता)।

10. भारत का ऊर्जा संक्रमण (Transition): एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा ढांचा

दशकीय उपलब्धियाँ और भविष्य के लक्ष्य:

पिछले दशक में, भारत ने लगभग सभी घरों में बिजली पहुँचाकर और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन (LPG) तक पहुँच का विस्तार करके अपने ऊर्जा परिदृश्य को बदल दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2015 के 40 GW से बढ़कर 2025 तक 260 GW हो गई है। यह प्रगति दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है: 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता (विकसित भारत) और 2070 तक शुद्ध-शून्य (net-zero) उत्सर्जन।

इन्सा (INSA) नीति संक्षिप्त विवरण (मई 2026):

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) द्वारा जारी इस नीति विवरण में अंजन रे द्वारा लिखित एक "एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा ढांचा" (Unified National Energy Framework) की रूपरेखा तैयार की गई है। यह कोयला, बायोमास, नवीकरणीय ऊर्जा, गैस और हरित हाइड्रोजन को एक समन्वित शासन संरचना के तहत एकीकृत करके भारत की संरचनात्मक ऊर्जा त्रिधा (trilemma)—बढ़ती घरेलू मांग, कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस पर आयात निर्भरता और सतत आर्थिक विकास के बीच संतुलन—का समाधान करता है।

एकीकृत संरचना के चार स्तंभ:

यह ढांचा योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए चार परस्पर सुदृढ़ मापदंडों (पैरामीटर) को स्थापित करता है:

- **पर्याप्तता (Adequacy):** रुक-रुक कर मिलने वाले नवीकरणीय ऊर्जा लोड को संभालने के लिए स्टोरेज (भंडारण) प्रणालियों और आधुनिक ग्रिडों के समर्थन से, पारंपरिक/उभरते स्रोतों का उपयोग करके ऊर्जा पोर्टफोलियो का विविधीकरण करना।
- **पहुँच (Access):** अंतिम मील तक ग्रिड की विश्वसनीयता को मजबूत करना और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा समाधानों को बड़े पैमाने पर बढ़ाना।
- **किफायत (Affordability):** कम आय वाले परिवारों और घरेलू उद्योगों के लिए इस ऊर्जा बदलाव को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए नवीन हरित वित्तपोषण (green financing) और कुशल बाजार नियमों का उपयोग करना।
- **उपयुक्त स्थिरता (Appropriate Sustainability):** पश्चिमी "सभी के लिए एक समान" (one-size-fits-all) समय-सीमाओं को खारिज करना और भारत की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट मार्गों को अपनाना, जिसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) मॉडल और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) पर जोर दिया गया है।

चरणबद्ध रणनीति और प्रौद्योगिकी मिश्रण:

यह ढांचा एक बहु-दशकीय चरणबद्ध दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाता है। इसका तात्कालिक चरण हरित हाइड्रोजन की तैनाती, वर्तमान थर्मल परिसंपत्तियों के अनुकूलन और ट्रांसमिशन (पारेषण) नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। दीर्घकालिक लक्ष्यों में गहन औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी), अपशिष्ट-से-ऊर्जा (waste-to-energy) प्लेटफार्मों का विस्तार और जैव-संसाधनों को बढ़ाना शामिल है।

संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान:

ऊर्जा शासन को सातवीं अनुसूची में विभाजित किया गया है। कोयला और तेल संघ सूची (प्रविष्टि 53 और 54) के अंतर्गत आते हैं, जबकि बिजली (Electricity) समवर्ती सूची (प्रविष्टि 38) में आती है, जिसके लिए केंद्र-राज्य सहयोगात्मक संघवाद की आवश्यकता होती है। इसे वैधानिक समर्थन ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (घरेलू कार्बन बाजारों की स्थापना) और विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्राप्त है। पर्यावरणीय रूप से, यह अनुच्छेद 253 के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप है।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रमुख परिभाषाएं:

- **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions):** ऐसी स्थिति जहां किसी अर्थव्यवस्था का पूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वायुमंडल से कार्बन हटाने की समतुल्य मात्रा द्वारा पूरी तरह से संतुलित हो जाता है।
- **कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS):** तकनीकों का एक समूह जो औद्योगिक उत्सर्जन स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर (एकत्र) करता है, और इसे विनिर्माण उपयोग में बदलता है या स्थायी रूप से भूमिगत गहराई में संग्रहीत करता है।

निष्कर्ष

भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए अलग-थलग क्षेत्रीय क्षमता वृद्धि से आगे बढ़कर एक एकीकृत, क्रॉस-फ्यूल (अंतर्-ईंधन) विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इनसा (INSA) द्वारा अनुशंसित चार-स्तंभों वाले ढांचे को लागू करना यह सुनिश्चित करता है कि जैसे-जैसे देश अपने 2047 के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों की ओर

बढ़ेगा, उसका ऊर्जा मैट्रिक्स संरचनात्मक रूप से पर्याप्त, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों से सुरक्षित रहेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; केंद्र-राज्य संबंध (ऊर्जा पर समवर्ती अधिकार क्षेत्र)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा); विकास और रोजगार; पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण (नेट-जीरो पाथवे, CCUS, ग्रीन हाइड्रोजन)।

11. दूरसंचार अधिनियम 2023: उभरते प्राधिकरण नियम और ढांचा

नए नियमों के माध्यम से विनियामक बदलाव:

केंद्र सरकार ने मूल कानून के तहत तीन ढांचागत नियमों—दूरसंचार (प्रधान, कैब्ले और विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2026—को अधिसूचित किया है। ये नियम पुराने लाइसेंसिंग सिस्टम को व्यवस्थित रूप से एक सुव्यवस्थित "प्राधिकरण" (authorisation) व्यवस्था से बदलते हैं, जिससे दूरसंचार ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के लिए अनुपालन कागजी कार्रवाई सरल हो जाती है।

औपनिवेशिक काल के कानूनों का समेकन:

मूल दूरसंचार अधिनियम, 2023 का उद्देश्य भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 जैसे पुराने कानूनों को निरस्त करके भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाना था। हालांकि दैनिक संचालन स्थिर बना हुआ है, लेकिन इस वैधानिक बदलाव से कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हुआ है, विशेष रूप से "दूरसंचार" की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है ताकि एंटी-स्पैम प्रवर्तन के लिए ओवर-द-टॉप (OTT) मैसेजिंग ऐप को भी इसके दायरे में लाया जा सके।

पूर्व में लागू किए गए प्रावधान:

कई महत्वपूर्ण धाराएं पहले से ही क्रियाशील हैं। विशेष रूप से, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का नाम बदलकर दूरस्थ डिजिटल बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने के लिए 'डिजिटल भारत निधि' कर दिया गया था। इसके अलावा, राज्य को इंटरसेप्शन (वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी टैपिंग आदेश) की अनुमति देने वाले प्रावधान और राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल या युद्ध की स्थिति के दौरान दूरसंचार बुनियादी ढांचे को जब्त करने की शक्ति सक्रिय रूप से लागू है।

सैटेलाइट इंटरनेट और विनियामक देरी:

सैटेलाइट-आधारित संचार के संबंध में महत्वपूर्ण विनियामक अस्पष्टता बनी हुई है। अंतिम 2026 के नियमों ने 'सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस' (GMPCS) के स्पष्ट संदर्भों को हटा दिया जो शुरुआती ड्राफ्ट में मौजूद थे। स्टारलिनक जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, ट्रेकिंग अनुपालन और स्थानीय इंटरनेट शटडाउन को लागू करने की तकनीकी व्यवहार्यता पर राज्य की चिंताओं के कारण मंजूरी में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

दूरसंचार शासन पूरी तरह से संघ सूची (प्रविष्टि 31, सातवीं अनुसूची) के अंतर्गत आता है, जो संसद को विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है। राज्य की इंटरसेप्शन और निगरानी शक्तियां अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (गोपनीयता का अधिकार) द्वारा सीमित हैं, जो के.एस. पुट्टस्वामी और पीयूसीएल बनाम भारत संघ के फैसलों में स्थापित न्यायिक सुरक्षा उपायों को दर्शाती हैं, जो यह अनिवार्य करते हैं कि कोई भी निगरानी आनुपातिकता (proportionality) और आवश्यकता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रमुख परिभाषाएं:

- **प्राधिकरण व्यवस्था (Authorisation Regime):** एक सरलीकृत विनियामक ढांचा जो व्यक्तिगत संविदात्मक लाइसेंसों को समान अनुपालन दिशानिर्देशों के तहत दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के लिए मानकीकृत वैधानिक अनुमतियों से बदल देता है।
- **डिजिटल भारत निधि:** दूरसंचार ऑपरेटरों पर एक संस्थागत लेवी (कर) द्वारा वित्तपोषित एक वैधानिक कोष, जिसे विशेष रूप से आर्थिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे का निर्माण करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए नामित किया गया है।

निष्कर्ष

2026 के दूरसंचार नियमों की अधिसूचना एक आधुनिक विनियामक वातावरण की ओर संक्रमण का प्रतीक है, फिर भी यह ढांचा अभी भी प्रगति पर है। उपग्रह ब्रॉडबैंड तैनाती में तकनीकी कमियों को दूर करने के साथ-साथ नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल और राज्य निगरानी क्षमताओं को संतुलित करना, भारत की व्यापक डिजिटल शासन दृष्टि के तहत इसकी डिजिटल बुनियादी ढांचे की तैयारी को निर्धारित करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; विनियामक निकाय; गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक सुरक्षा उपाय।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां; मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका; बुनियादी ढांचा (दूरसंचार और सैटेलाइट कनेक्टिविटी)।

12. जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति: मुख्य हस्तक्षेप

समिति की उत्पत्ति और संरचना:

15 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "उच्च-स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन" की घोषणा के बाद, गृह मंत्रालय (MHA) ने औपचारिक रूप से 26 मई, 2026 को जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता वाले इस 6-सदस्यीय पैनल में जनगणना आयुक्त के साथ-साथ शमिका रवि (PMEAC) जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं।

रणनीतिक राज्य प्रश्नावली और कार्यप्रणाली (Modus Operandi):

HLCDC पिछली आधिकारिक 2011 की जनगणना के बाद से हुए जनसंख्या विकास और स्थानीयकृत बस्तियों के विस्तार का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को लक्षित प्रश्नवाल्यां जारी कर रही है। पैनल इस राज्य के

डेटा को सीमावर्ती जिलों, आदिवासी क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों के प्रत्यक्ष क्षेत्र दौरों (field visits) के साथ जोड़ रहा है, जबकि आम जनता की प्रतिक्रिया के लिए एक ईमेल चैनल भी खोल रहा है।

मतदाता सूची से नाम हटाना और अवैध प्रवासन का आकलन:

पैनल ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभ्यास के दौरान हटाए गए मतदाताओं से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करने का औपचारिक अनुरोध किया है। चूंकि 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे किए गए एसआईआर (SIR) ने दस्तावेजी सबूतों की जांच की और इसके परिणामस्वरूप लगभग 6.5 करोड़ नाम (उन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं का \$11\%\$) हटा दिए गए, पैनल इस विलोपन (नाम हटाने) के तर्कों का उपयोग बिना दस्तावेजों वाले या अवैध अप्रवासियों की संख्या का वैज्ञानिक रूप से अनुमान लगाने के लिए करना चाहता है।

जनसंख्या जनगणना 2027 के साथ समकालीकरण:

पैनल का यह आकलन आगामी जनसंख्या जनगणना 2027 के समानांतर चल रहा है, जो 16 साल की देरी के बाद आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक मकान सूचीकरण और मकान गणना (HLO) चरण वर्तमान में जारी है और 30 सितंबर, 2026 को समाप्त होगा, जो 1 मार्च, 2027 तक पूरे होने वाले अंतिम जनसंख्या प्रगणन (Population Enumeration) से पहले निपटान ब्लॉकों पर महत्वपूर्ण आधारभूत डेटा प्रदान करेगा।

संवैधानिक और वैधानिक ढांचा:

जनगणना सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 69 के तहत एक विशेष संघ का विषय है, जो जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित है। विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए कानूनी तंत्र तैयार करने का पैनल का व्यापक जनादेश प्रविष्टि 17 (विदेशी) और प्रविष्टि 19 (भारत में प्रवेश/निष्कासन) के अंतर्गत आता है, जिसे विदेशी अधिनियम, 1946 और नागरिकता अधिनियम, 1955 के माध्यम से संचालित किया जाता है। अधिकारों के दृष्टिकोण से, निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा बड़े पैमाने पर नाम हटाना अवैध मताधिकार को रोकने और अनुच्छेद 326 के तहत मौलिक मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन की परीक्षा लेता है।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रमुख परिभाषाएं:

- **विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR):** निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों को दोहराव, मृत मतदाताओं और अवैध निवासियों से मुक्त करने के लिए आयोजित एक कठोर, दस्तावेज-केंद्रित सत्यापन प्रक्रिया, जो साबित करने का बोझ मतदाता पर डालती है।
- **जनसांख्यिकीय त्रिधा (Demographic Trilemma):** सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या ढांचे के प्रबंधन की नीतिगत चुनौती जहां स्थानीय बुनियादी ढांचे और सामाजिक स्थिरता को बिगाड़ने के लिए अवैध प्रवासन, अलग-अलग क्षेत्रीय प्रजनन दर और घरेलू आर्थिक प्रवासन एक दूसरे को काटते हैं।

निष्कर्ष

नवलेकर समिति भारत की आंतरिक जनसांख्यिकी के सुरक्षा-केंद्रित विश्लेषण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। जबकि स्थानीय आदिवासी पहचान की रक्षा करने और राज्य के संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए असामान्य जनसंख्या वृद्धि की पहचान करना महत्वपूर्ण है, अंतिम कानूनी ढांचे को राष्ट्रीय संप्रभुता को सख्त प्रक्रियात्मक पारदर्शिता के साथ संतुलित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वास्तविक नागरिक अनजाने में मताधिकार से वंचित या हाशिए पर न चले जाएं।

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन, भारतीय संविधान (सातवीं अनुसूची), वैधानिक और विनियामक निकाय (ECI, रजिस्ट्रार जनरल), आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंध।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां (अनुप्रवेश/घुसपैठ, अवैध प्रवासन), सीमा क्षेत्र विकास, और जनसांख्यिकीय लाभांश की चुनौतियां।

